कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दिनांक 7 जुलाई, 2020

ई0डब्ल्यू0एस0 आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/2019 टी0सी0–11, दिनांक 18 फरवरी, 2019 में निहित व्यवस्थानुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–12–4/2019, दिनांक 17.1.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो जो वर्तमान में लागू आरक्षण व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, के लिए केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण दने के लिए जारी किया गया है, जिसके प्रभावी बिन्दु निम्नवत् है–

5-(2-C) "Every Central Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority (as defined in clause (c) of section 2 of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006), increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, is not less than the number of such seats available, in each category, for the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M."

6–(2) प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान अपनी प्रत्येक शाखा में निर्धारित वार्षिक सीटों की संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से सीटों की संख्या में वृद्धि करेंगे, जो शैक्षणिक सत्र के तुरन्त बाद से पहले श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम न हो।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड के पत्र दिनांक 8.4.2019 एवं 18.4.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो ई0डब्ल्यू0एस0 कोटा 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किये जाने विषयक है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रों में स्पष्ट किया गया है कि 10 प्रतिशत आरक्षण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उन्हीं संस्थानों में लागू किया जायेगा जिनमें सीटों की बढ़ोत्तरी हुई है।

शैक्षणिक सत्र 2020–21 में ई0डब्ल्यू0एस0 कोटा लागू किये जाने के सम्बन्ध में शैक्षणिक सत्र 2019–20 तथा 2020–21 में जिन राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों जिन विशिष्टताओं में सीट बढ़ोत्तरी हुई है, उसी विशिष्टता में ई0डब्ल्यू0एस0 कोटा दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2019–20 तथा 2020–21 में जिन राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों जिन विशिष्टताओं में सीट बढ़ोत्तरी हुई है। शासनादेश संख्या–5/2019/4/1/2002/का–2/2019 टी0सी0–1, दिनांक 13 अगस्त, 2019 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार ई0डब्ल्यू0एस0 कोटा हेतु 10वीं सीट देने का प्राविधान है। साथ ही साथ ई0डब्ल्यू0 कोटा से इतर अन्य वर्ग जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसचित जनजाति का कोटा भी प्रभावित न हो, अर्थात् जिस विशिष्टता में सीटें बढ़ी हुई है तथा शासनादेश के अनुसार 10वीं, 20वीं, 30वीं आदि सीटों के सापेक्ष ई0डब्ल्यू0एस0 कोटा का निर्धारण किया जाता है।

महानिदेशक।